



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अधिप्राप्ती विशेषज्ञ-2
एस.पी.0एम.0यू.0, एन.0एच.0पी.0
सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की

कोटेशन नोटिस सं० 14 / अ0अ0 / एस.पी.0एम.0यू.0 / दिनांक 23/11/2020

गिगल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु निर्बन्धित संवेदकों/आपूर्तिकर्ता/वाहन मालिकों से वाहन रिफर सिंचाईर टैक्सी हेतु मासिक आधार पर कर सहित मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

सहायक अभियन्ता, एस.पी.0एम.0यू.0 (एन.0एच.0पी.0), सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की
कार्यालय सहायक अभियन्ता, एस.पी.0एम.0यू.0 (एन.0एच.0पी.0), रुड़की
दिनांक 15.12.2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक
दिनांक 15.12.2020 को अपराह्न 3.30 बजे (प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सनक्ष)।

वाहन मालिक निम्नवत् हैं -

1. निर्बन्धित Car Rental/Travel Agency/Firms के रूप में अधिकृत संस्थानों से निर्बन्धित हो तथा जिनके पास वैध PAN कार्ड हो अथवा व्यक्तिगत रूप से वाहन मालिक भी इस कोटेशन में भाग ले सकते हैं।
2. वाहन अधिकतम तीन साल से अधिक पुराने नहीं हो तथा व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्बन्धित हो।
3. निर्बन्धित वाहन का किराया सभी कर सहित एवं उद्धृत करेंगे व कोटेशन का मूल्यांकन मासिक दर पर किया जायेगा।
4. किराया द्वारा वाहन किया जायेगा। वाहन के रख-रखाव एवं चालक के भुगतान का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं मालिक के पास राक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा एवं वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से चालना होगा।
5. वाहन से सम्बन्धित सभी कागजात यथा निबन्धन टैक्स/बीमा कागजात आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए एवं जिसकी देयता की जिम्मेदारी पूर्णतया वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन के दौरान सभी प्रकार के टोल टैक्स, अन्य राज्यों में प्रवेश शुल्क, पार्किंग आदि सभी का भुगतान वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान के साथ ही कर दिया जायेगा।
7. वाहन चालक न होने पर अथवा वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत वैकल्पिक वाहन प्रदान करायेगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन अवधि के किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. अधिप्राप्ती अभियन्ता, अधिप्राप्ती विशेषज्ञ-2 एस.पी.0एम.0यू.0 (एन.0एच.0पी.0), सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को निविदा प्रस्तुत करने तथा एक से अधिक कोटेशन स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रहेगा।
9. कोटेशन दाता अपनी दरों के साथ-साथ PAN कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस टैक्स न0/जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकृत अधिकारी के कार्यालय में ड्रेवल एजेंसी/टैक्सी संचालन हेतु पंजीकृत प्रमाण पत्र, दरों की वैधता हेतु रु० 100.00 का ग्यारह प्रतिशत स्टाम्प पेपर तथा चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस का शपथपत्र आदि की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति भी जमा करेंगे।
10. वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में अथवा राज्य के बाहर कभी भी किया जा सकता है।
11. वाहन निविदा अमान्य होगी।
12. निविदा भी विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता
अधिप्राप्ती विशेषज्ञ-2
एस.पी.0एम.0यू.0 / एन.0एच.0पी.0

सं० 156 / अ0अ0 / एस.पी.0एम.0यू.0 / एन.0एच.0पी.0 दिनांक 23/11/2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधिप्राप्ती अभियन्ता, शोध गण्डल, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।
2. अधिशासी अभियन्ता, परिकल्प खण्ड, सिंचाई परिकल्प संगठन, रुड़की।
3. अनुसंधान अधिकारी, आधारनवेषण इकाई, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने हेतु।
4. अधिप्राप्ती अधिकारी, सिंचाई अनुसंधान संस्थान/परिकल्प संगठन, रुड़की।

अधिशासी अभियन्ता
अधिप्राप्ती विशेषज्ञ-2
एस.पी.0एम.0यू.0 / एन.0एच.0पी.0